A 6/1

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.71 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 238)	03.12.2024	22.04.2025

1. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राहमण,
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. घनश्याम आ. कैलाशचन्द जाति ब्राहमण,
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
3. तारा पुत्री कैलाशचन्द पत्नी अभिषेक जाति ब्राहमण,
   नि. पुराना बाजार डाबी हाल निवासी देवपुरा बून्दी।
4. उर्मिला पुत्री कैलाशचन्द पत्नी रमेश जाति ब्राहमण,
   नि. डाबी हाल निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाडा
5. मुकेशकुमार आ.कैलाशचन्द जाति ब्राहमण
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
6. सुरेशकुमार आ.कैलाशचन्द जाति ब्राहमण
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
7. सुनीता पुत्री कैलाशचन्द पत्नी विष्णु शर्मा जाति ब्राहमण,
   नि. पुराना बाजार डाबी हाल निवासी सीतापुरा तह.तालेडा

– अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, डाबी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 1458 दिनांक 27.07.2020 (दिनांक 24.08.2020 को स्वीकृत) ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार कैलाशचंद के स्थान पर उसके विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 71/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/238 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

प्रार्थीगण राकेश, रीना, सुमित्रा, सुशीला, मन्जू पुत्री स्व.रतनलाल जाति ब्राहमण निवासी डाबी की ओर से जर्ये अभिभाषक श्री नवेद केसर लखपति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. दिनांक 07.01.2025 पेश किया जाकर प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 04.03.2025 को जवाब पेश किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बाद सुनवाई उभय पक्षकारान जाहिर आया कि हस्तगत अपील में विरासत के नामा.सं. 1458 जिससे ग्राम डाबी की आराजी ख.सं. 1003, 1006, 1007 के खातेदार कैलाशचंद के स्थान पर उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया, को चुनौती दी गई है, जबकि अन्य अपील सं.56/2024 बउनवान राकेश बनाम प्रेमबाई वगै. में वादग्रस्त आराजी ख.सं. 965/1315, 1184/1363, 1184/1364, 1184/1365, 1184/1405 के गैर खातेदार रतनलाल के स्थान पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक विरासत के नामा.सं. 1359 को चुनौती दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों अपीलों में विवादित आराजी एवं उसके खातेदार भिन्न भिन्न है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित करने में विफल रहे है कि हस्तगत अपील के अपीलाधीन नामा.सं. 1458 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण के हित किस प्रकार निहित है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण बाबत किसी प्रकार का आदेश पारित किये जाने पर प्रार्थीगण के हित किस प्रकार प्रभावित होते है। ऐसे में प्रार्थीगण अपील विषयक आराजी से हितबद्ध पक्षकार प्रथमदृष्टया नहीं पाये जाने से उनको अपील में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. अस्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

6
A3

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ख.सं.717, 718/1, 718/2 मीन, 719, 720 कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा जिसके नये खसरा सं. 1003 रकबा 1.3840 हैक्टेयर, ख.सं. 1006 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, ख.सं. 1007 रकबा 0.0243 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार घीसीलाल आ. मोडूलाल जाति ब्राहमण नि. डाबी थे, जो अपीलांट के पिता स्व.कैलाशचन्द के नाना थे। घीसीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 14.07.1972 को कैलाशचंद पुत्र रतनलाल के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया जाकर ग्राम डाबी की 15 बीघा जमीन बक्शीश कर कब्जा संभला दिया था। उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर नामा.सं. 85 दिनांक 23.09.1975 को तस्दीक हुआ, किन्तु उक्त नामान्तरकरण के कॉलम नं. 11 के नाम कैलाशचंद पि.मु. घीसीलाल खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि कैलाशचंद पुत्र रतनलाल दर्ज किया जाना था, क्योंकि कैलाशचंद कभी भी घीसीलाल के गोद नहीं गया था, घीसीलाल द्वारा न तो कभी कोई गोदनामा निष्पादित करवाया और न ही उक्त बक्शीशनामा में गोद लिये जाने का तथ्य अंकित किया है, बल्कि घीसीलाल द्वारा कैलाशचंद पुत्र रतनलाल के पक्ष में बक्शीशनामा निष्पादित करवाया था। खातेदार कैलाशचंद की मृत्यु के पश्चात खोले गये विरासत का नामान्तरकरण सं. 1458 की प्रविष्टि सं. 6 में कैलाशचंद पुत्र घासीलाल दर्ज है जो अवैध है, क्योकि कैलाशचंद रतनलाल का पुत्र है, उसके पिता घीसीलाल नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रतनलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण के तीन पुत्र प्रकाश, शिवशंकर, कैलाश एवं तीन पुत्रियां सुमित्रा, सुशीला, मंजू तथा बेवा चांद बाई वैध वारिसान थे। कैलाश रतनलाल का बडा पुत्र है जो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के गोद नहीं गया, न ही कोई गोदनामा निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया। सम्पूर्ण जीवनकाल में कैलाशचंद रतनलाल के पुत्र के रूप ही रहा, पिता रतनलाल की मृत्यु के बाद 12 दिन के कियाकर्मो को भी बतौर पुत्र सम्पन्न करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज बक्शीशनामा दिनांक 14.07.1972 के बक्शीशग्रहिता का नाम कैलाशचंद पुत्र रतनलाल होने के उपरान्त भी अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रविष्टि सं. 6 में कैलाशचंद पुत्र घासीलाल अंकित कर दिया गया, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिये नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त की अवहेलना कर आदेश पारित किया गया, इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर दिनांक 02.12.2024 को प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 03.12.2024 को नकल प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी होने तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील

जिला कलक्टर, बून्दी

अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। यदि देरी मानी जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर बक्शीशनामा के आधार पर प्रविष्टि सं. 6 में कैलाशचंद पुत्र घासीलाल के स्थान पर कैलाशचंद पुत्र रतनलाल दर्ज किया जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वयं अपीलांटस के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इसलिए अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांटस द्वारा उनके खाते दर्ज की गई उक्त आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है। इसके बावजूद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश की गई हस्तगत अपील अवधि बाहर है। अपीलांटस की ओर से अपील में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। इस प्रकार विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया जाकर अपीलांटस द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 24.08.2020 की नकल दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त होने पर जानकारी होना अंकित करतेहुये अपील दिनांक 03.12.2024 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुण पर किये जाने पर प्रकट होता है कि ग्राम डाबी में विस्थित आराजी खसरा सं. 1003 रकबा 1.3840 हैक्टेयर, खसरा सं. 1006 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, ख.सं. 1007 रकबा 0.0243 हैक्टेयर के खातेदार कैलाशचन्द पुत्र मु. घासीलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1458 दिनांक 24.08.2020 तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जाकर उक्त नामान्तरकरण की प्रविष्टि सं. 6 में अंकित ''कैलाशचन्द पुत्र मु. घासीलाल'' को त्रुटिपूर्ण मानते हुये ''कैलाशचन्द पुत्र रतनलाल'' शुद्धीकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

यहा उल्लेखनीय है कि अपीलांटस द्वारा मृतक खातेदार कैलाशचन्द के फोत हो जाने पर उसके विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1458 को विधिविरूद्ध नहीं माना है, अपितु उक्त नामान्तरकरण में अंकित वर्तमान जमाबंदी की प्रविष्टि के अंकन को त्रुटिपूर्ण माना है तथा जमाबंदी के अंकन में शुद्धि करवाना चाहा है। अपीलांटस द्वारा अपील में यह अंकित नहीं किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में किस विधिक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील में तहसीलदार तालेडा के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में अपीलांटस अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नं. 6 की प्रविष्टि में शुद्धिकरण का प्रश्न है तो इस हेतु अपीलांटस को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की **धारा 136** ''गलतियों का शुद्धिकरण'' के तहत सक्षम स्तर पर कार्यवाही पेश की जानी चाहिए। रेकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही के लिए धारा 75 के तहत अपील पेश किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपील अपीलांटस खारिज किया जाना उचित है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बून्दी

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी